<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

री-इन्वेस्ट 2024: इरेडा के सीएमडी ने जलवायु वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन टैक्सोनॉमी की भूमिका पर प्रकाश डाला

गांधीनगर, 17 सितंबर 2024

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने महात्मा मंदिर, गांधीनगर में आयोजित चतुर्थ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (री-इन्वेस्ट) में एक पैनल चर्चा के दौरान एक मजबूत "ग्रीन टैक्सोनॉमी" फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में प्रकाश डाला।

"ग्रीन टैक्सोनॉमी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग" के बारे में बोलते हुए, श्री दास ने इस बात पर जोर दिया कि अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को "ग्रीन" के रूप में परिभाषित करना निवेशकों का विश्वास बनाने और वास्तविक ग्रीन परियोजनाओं के लिए जलवायु वित्तीयन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि , "'ग्रीन' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सकता है और फंड के गलत आवंटन से बच सकता है।"

श्री दास ने प्रस्ताव दिया कि भारत की ग्रीन टैक्सोनॉमी संपूर्ण अक्षय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला जैसे इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण , सोलर पीवी मॉड्यूल और ईवी बैटरी के निर्माण से लेकर अक्षय ऊर्जा उत्पादन, स्मार्ट ग्रिड और उपकरण रीसाइक्लिंग तक को कवर करे। उन्होंने कहा कि यह फ्रेमवर्क भारत के बढ़ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा।

इरेडा के सीएमडी ने गिफ्ट सिटी में इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। विदेशी मुद्रा में फंड जुटाने और संवितरित करने से, इरेडा की सहायक कंपनी ,विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा घटक विनिर्माण और कैप्टिव परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख निर्माताओं के लिए हेजिंग में महत्वपूर्ण लागत बचाव प्रदान करेगी ।

उन्होंने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की तीव्र प्रगति और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए "डीएएस" सिद्धांत के महत्व के बारे में जोर दिया। इस "डीएएस" सिद्धांत का अर्थ है निवेशकों का अनुशासन, ऋणदाताओं का रवैया और केंद्र-राज्य सरकारों, सीईए आदि के साथ-साथ आरबीआई और सेबी जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा नीतियों का सरलीकरण । श्री दास ने बताया कि इस सिद्धांत को अपनाकर, इरेडा ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा प्राप्त करने के राष्ट्र के लक्ष्य के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं को फिर से सुसंगठित किया है। कंपनी द्वारा इस पुनर्संरेखण से पिछले चार वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण सुधार और हॉकी स्टिक दृष्टिकोण वृद्धि हुई है।

श्री दास ने आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अधीन बॉण्ड के माध्यम से फंड जुटाने के लिए पात्र कंपनियों की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से इरेडा के अनुरोध को भी रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए ऋण लेने की लागत को और कम करना है।

इस पैनल चर्चा के दौरान अवाडा समूह के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री दीपक अग्रवाला; रीन्यू समूह के सीएफओ, श्री कैलाश वासवानी; जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सीएफओ, श्री प्रीतेश विनय; एक्मे के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रमुख, श्री जितेंद्र सिंह; और ओईसीडी पर्यावरण की उप निदेशक, सुश्री कुमी कितामोरी भी शामिल थीं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और साझेदार, श्री उमंग शाह ने इस सत्र का संचालन किया।